प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 समाविष्ट करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्रों के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। आर्थिक क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभागों को क्रमशः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राजस्व क्षेत्र में समाहित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। 2012-13 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में लेखापरीक्षा की योजना तथा सीमा, प्रारूप कंडिकाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों के उत्तरों का वर्णन है। अध्याय दो में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, उच्च शिक्षा विभाग की कार्यविधि, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और आयुष फार्मेसियों की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है। अध्याय तीन में लाड़ली लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, समितियों आदि की अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष दिए गए हैं।